राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

<u>कोर्स रिपोर्ट</u>

इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राईम केसेज

राजस्थान पुलिस अकादमी में 'इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राईम केसेज' विषय पर दिनांक 16-04-2018 से 27-04-2018 तक दो सप्ताह के कोर्स का आयोजन किया गया।

इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 1 पुलिस उप अधीक्षक, 3 पुलिस निरीक्षक एवं 15 पुलिस उप निरीक्षक स्तर के कुल 19 अधिकारी प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें साईबर अपराधों के अनुसंधान विषय पर प्रथम सप्ताह में विभिन्न व्याख्याताओं श्री शिवदान यादव, टेक्निकल एक्सपर्ट, श्री गजेन्द्र शर्मा, उप निरीक्षक पुलिस, साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, श्री नन्द कुमार कटेवा, प्रोग्रामर, आरपीए, श्री ओशो पार्थ, टेक्निकल एक्सपर्ट, श्री मिलिन्द अग्रवाल, साईबर एक्सपर्ट, श्री निशीथ दिक्षित, एडवोकेट, जयपुर ने कम्प्यूटर की मूलभूत जानकारी यथाः हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट, विभिन्न कम्प्यूटर डिवाईसेज का प्रेक्टिकल उपयोग, साईबर अपराध संबंधित IT Act, स्पेशल एक्ट, अन्य लोकल एक्ट एवं IPC की लगने वाली विभिन्न धाराऐं, विभिन्न साईबर अपराध जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, वायरस व वोर्म फैलाना, फिशिंग, विशिंग, कम्प्यूटर नेटवर्क डिसरप्शन, साईबर बुलिंग, आईडेंटिटी थेफ्ट, साईबर आतंकवाद, ई–मेल से धोखाधड़ी, ई–मेल स्पूफिंग, क्रेडिट/डेबिट

कार्ड फ्रॉड़, कॉपी राईट से संबंधित अपराध, पोर्नोग्राफी, धोखाधड़ी, डिनाईल ऑफ सर्विस अटैक, वेब डीफेसमेन्ट, वेबसाईट हैकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी आदि के अपराध करने के तरीके वारदात बताने के अलावा साईबर अपराधों इन्वेस्टिगेट करने हेतु डाटा स्टोरेज डिवाईसेज की ईमेजिंग तैयार करना एवं हैस वैल्यू निकालना, डार्क वेब पर होने वाले अपराधों को इन्वेस्टिगेट करना, वेबसाईट एवं ई–मेल से संबंधित अपराधों को इन्विेस्टिगेशन करना तथा विभिन्न कानूनों यथाः IT Act., इंटरमीडियरी गाईड लाईन, टेलीग्राफ एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों व संबंधित नियम, कोर्ट के निर्णयों के बारे में बताया।

साईबर अपराध से संबंधित कोर्स के दूसरे सप्ताह में विभिन्न व्याख्याताओं श्री राजेश दुरेजा, पुलिस निरीक्षक, एटीएस, जयपुर, डॉ. विश्वास भारद्वाज, सहायक निदेशक(साईबर फॉरेंसिक), एफएसएल, जयपुर, श्री आकाश कुमार कुन्डु, साईबर एक्सपर्ट, एनआईए, नई दिल्ली, श्री ओशो पार्थ, साईबर एक्सपर्ट, जयपुर, श्री प्रमेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन, श्री शेखर सिंह, बैंक मैनेजर (इन्वेस्टिगेशन), जयपुर द्वारा विभिन्न प्रकार की कॉल डिटेल व टावर डम्प का विश्लेषण, एमएस–एक्सल का उपयोग करते हुए सीडीआर विश्लेषण करवाया, साईबर अपराध के अनुसंधान के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यों की पहचान, चैन ऑफ कस्टडी, संदिग्ध इलेक्ट्रोनिक डिवाईस की पैकिंग कर FSL भिजवाना, FSL से पूछे जाने वाले प्रश्न व पूरी प्रक्रिया के दौरान डूज् व डॉन्ट्स की जानकारी दी, मोबाईल फोन फॉरेंसिक, फिशिंग विशिंग तथा सोसल मिडिया से संबंधित अपराधों, बैंकिंग फ्रोड एवं इनके डेटा कलेक्शन को कैस स्टेडी के माध्यम से समझाया गया, साईबर अपराधों को इन्वेस्टिगेट करने की SOP तैयार करवाई गई।

कोर्स के समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किये गये। इस कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक (स्पेशल कोर्स एवं सीओई) तथा सहायक कोर्स डायरेक्टर श्री नन्द कुमार कटेवा, प्रोग्रामर थे।